"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 सितम्बर 2006—आश्विन 1, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक फा. क्र. 1-1/2003/11753/21-ब/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से एतद्द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 से राज्य में कॉलम (2) में दर्शित निम्न 16 (सोलह) सिविल जिले, जिसमें कॉलम (3) में दर्शित राजस्व जिले समाविष्ट हैं, घोषित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिला (2)	राजस्व जिला (3)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
2.	बिलासपुर	बिलासपुर
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
4.	धमतरी	धमतरी
5.	दुर्ग	दुर्ग
6.	जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर-चाम्पा
7.	जशपुर	जशपुर

(1)	(2)	(3)
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महासमुन्द	महासमुन्द
12.	रायगढ़	रायगढ़
13.	रायपुर	रायपुर
14.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)

Raipur, the 23rd September 2006

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/11753/21-B/06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications, the State Government on the recommendation of the High Court hereby declares that with effect from the 8th October, 2006, there shall be following 16 (Sixteen) Civil Districts in the State shown in column (2) comprising the Revenue Districts, shown in Column (3) :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Civil District (2)	Revenue District (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar (Jagdalpur)
2.	Bilaspur	Bilaspur
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	Dakshin Bastar (Dantewada)
4.	Dhamtari	Dhamtari
5.	Durg	Durg
6.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa
7.	Jashpur	Jashpur
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	Kabeer Dham (Kawardha)
9.	Korba	Korba
10.	Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur)
11.	Mahasamund	Mahasamund
12.	Raigarh	Raigarh
13.	Raipur	Raipur
14.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
15.	Sarguja (Ambikapur)	Sarguja (Ambikapur)
16.	Uttar Bastar (Kanker)	Utter Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्र. फा. 1-1/2003/11755/21-ब/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-1/2003/11753/21-ब/06 दिनांक 23 सितम्बर, 2006 के अधीन घोषित 16 (सोलह) सिविल जिलों के लिए जिला न्यायाधीश का न्यायालय दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 से स्थापित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिला (2)
1.	बस्तर
2.	बिलासपुर
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
4.	धमतरी
5.	दुर्ग
6.	जांजगीर-चांपा
7.	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महासमुंद
12.	रायगढ़
13.	रायपुर
14.	राजनांदगांव
15.	सरगुजा
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)

Raipur, the 23rd September 2006

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/11755/21-B/06.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications the State Government hereby establishes, with effect from the 8th October 2006 the courts of District Judge for 16 (Sixteen) Civil District shown in Column No. (2) as declared by the department Notification No. F. 1-1/2003/11753/21-B/06 dated 23rd September 2006 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Civil District (2)
1.	Bastar
2.	Bilaspur
3.	Dakshin Bastar (Dantewara)

(1)	(2)
4.	Dhamtari
5.	Durg
6.	Janjgir-Champa
7.	Jashpur
8.	Kabeer Dham (Kawardha)
9.	Korba
10.	Koria (Baikunthpur)
11.	Mahasamund
12.	Raigarh
13.	Raipur
14.	Rajnandgaon
15.	Surguja (Ambikapur)
16.	Uttar Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक फा. क्र. 1-1/2003/11757/21-ब/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न 16 (सोलह) सिविल जिलों में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का न्यायालय दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 से स्थापित करती हैं :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	3	3	8
2.	बिलासपुर	9	7	10
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1	2	3
4.	धमतरी	1	2	3
5.	दुर्ग	8	5	13
6.	जांजगीर-चांपा	2	3	3
7.	जशपुर	1	2	2
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	–	3	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	कोरबा	1	3	2
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	2	3	2
11.	महासमुंद	2	3	3
12.	रायगढ़	2	2	7
13.	रायपुर	12	8	15
14.	राजनांदगांव	3	5	5
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	3	4	7
16.	उत्तर बस्तर, कांकेर	1	2	2

Raipur, the 23 September 2006

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/11757/21-B/06.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications, the State Government hereby establishes, with effect from the 8th October, 2006, the courts of Additional District Judges, Civil Judges Class I and Civil Judges Class-II in the following 16 (Sixteen) Civil Districts of the State as specified against each Civil District in the table below :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts		
		Additional District Judges	Civil Judges Class-I	Civil Judges Class-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bastar (Jagdalpur)	3	3	8
2.	Bilaspur	9	7	10
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1	2	3
4.	Dhamtari	1	2	3
5.	Durg	8	5	13
6.	Janjgir-Champa	2	3	3
7.	Jashpur	1	2	2
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	-	3	1
9.	Korba	1	3	2
10.	Koria (Baikunthpur)	2	3	2
11.	Mahasamund	2	3	3
12.	Raigarh	2	2	7
13.	Raipur	12	8	15
14.	Rajnandgaon	3	5	5
15.	Sarguja (Ambikapur)	3	4	7
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1	2	2

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक फा. क्र. 1-1/2003/11759/21-ब/छ. ग./2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 7 की उपधारा (1), (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 से राज्य में कॉलम नंबर (2) में दर्शित निम्न 16 (सोलह) सत्र खण्ड (जिले) जिसमें कॉलम नंबर (3) में दर्शित राजस्व जिले समाविष्ट हैं, घोषित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सत्र खण्ड (2)	सत्र खण्ड में शामिल राजस्व जिला (3)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
2.	बिलासपुर	बिलासपुर
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
4.	धमतरी	धमतरी
5.	दुर्ग	दुर्ग
6.	जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर-चाम्पा
7.	जशपुर	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महासमुन्द	महासमुन्द
12.	रायगढ़	रायगढ़
13.	रायपुर	रायपुर
14.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)

Raipur, the 23rd September 2006

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/11759/21-B/06.—In exercise of the powers conferred by sub-secti . (1), (2) and (3) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all pre ous Notifications, the State Government in consultation with the High Court declares that with effect from the 8th October 2006, there shall be following 16 (Sixteen) sessions divisions (district) in the State shown in column (2) comprising the Revenue Districts shown in column (3) :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Sessions Division (District) (2)	Revenue District included in the Sessions Division (District) (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar (Jagdalpur)

(1)	(2)	(3)
2.	Bilaspur	Bilaspur
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	Dakshin Bastar (Dantewada)
4.	Dhamtari	Dhamtari
5.	Durg	Durg
6.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa
7.	Jashpur	Jashpur
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	Kabeer Dham (Kawardha)
9.	Korba	Korba
10.	Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur)
11.	Mahasamund	Mahasamund
12.	Raigarh	Raigarh
13.	Raipur	Raipur
14.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
15.	Sarguja (Ambikapur)	Sarguja (Ambikapur)
16.	Uttar Bastar (Kanker)	Utter Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक फा. क्र. 1-1/2003/11761/21-ब/छ. ग./2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूची की कॉलम संख्या (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार सत्र खण्डों के लिये दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 से, सत्र न्यायालय स्थापित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सत्र खण्ड (2)
1.	बस्तर (जगदलपुर)
2.	बिलासपुर
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
4.	धमतरी
5.	दुर्ग
6.	जांजगीर-चाम्पा
7.	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा

(1)	(2)
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महासमुन्द
12.	रायगढ़
13.	रायपुर
14.	राजनांदगांव
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)

Raipur, the 23rd September 2006

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/11761/21-B/06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and in supersession of all previous Notifications, the State Government hereby establishes with effect from 8th October, 2006 the Court of Sessions for Sessions Division shown in column No. (2) :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Sessions Division (2)
1.	Bastar (Jagdalpur)
2.	Bilaspur
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)
4.	Dhamtari
5.	Durg
6.	Janjgir-Champa
7.	Jashpur
8.	Kabeer Dham (Kawardha)
9.	Korba
10.	Koria (Baikunthpur)
11.	Mahasamund
12.	Raigarh
13.	Raipur
14.	Rajnandgaon
15.	Sarguja (Ambikapur)
16.	Uttar Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक फा. 1-1/2003/11763/21-ब/छ. ग./2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रत्येक जिले में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 से दर्शित संख्यानुसार प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करती है :—

अनुसूची

अनु.	राजस्व जिलों के नाम	स्थान का नाम	न्यायालयों की संख्या	
			प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी	द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	(एक) जगदलपुर	9	2
		(दो) कोण्डागांव	1	-
		(तीन) नारायणपुर	1	-
2.	बिलासपुर	(एक) बिलासपुर	14	3
		(दो) मुंगेली	1	-
		(तीन) पेण्ड्रारोड	2	-
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	(एक) दंतेवाड़ा	3	1
		(दो) बीजापुर	1	-
		(तीन) सुकमा	1	-
4.	धमतरी	(एक) धमतरी	4	1
		(दो) कुरूद	1	-
5.	दुर्ग	(एक) दुर्ग	12	2
		(दो) बालोद	3	-
		(तीन) बेमेतरा	3	-
6.	जांजगीर-चांपा	(एक) जांजगीर	4	1
		(दो) सक्ती	2	-
7.	जशपुर	(एक) जशपुर	3	1
		(दो) पत्थलगांव	1	-
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	(एक) कवर्धा	4	1
9.	कोरबा	(एक) कोरबा	3	1
		(दो) कटघोरा	2	-
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	(एक) बैकुण्ठपुर	3	1
		(दो) मनेन्द्रगढ़	2	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	महासमुन्द	(एक) महासमुंद	5	1
		(दो) सरायपाली	1	-
12.	रायगढ़	(एक) रायगढ़	6	3
		(दो) धरमजयगढ़	1	-
		(तीन) घरघोड़ा	1	-
		(चार) सारंगढ़	1	-
13.	रायपुर	(एक) रायपुर	18	4
		(दो) बलोदाबाजार	2	-
		(तीन) गरियाबंद	2	-
		(चार) भाटापारा	1	
14.	राजनांदगांव	(एक) राजनांदगांव	5	2
		(दो) अंबागढ़ चौकी	1	-
		(तीन) डोंगरगढ़	2	-
		(चार) खैरागढ़	2	
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	(एक) अंबिकापुर	7	3
		(दो) प्रतापपुर	1	-
		(तीन) रामानुजगंज	1	-
		(चार) सूरजपुर	2	
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	(एक) कांकेर	3	1
		(दो) भानुप्रतापपुर	1	

Raipur, the 23rd September 2006

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/11763/21-B/06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and in supersession of all previous Notifications, the State Government, in consultation with the High Court hereby establishes, with effect from the 8th October, 2006 the Courts of Judicial Magistrate First Class and Second Class in each District at the places specified and the number of courts as mentioned against each in the table below :—

TABLE

S. No.	Name of the Revenue District	Name of Place	Name of Courts: Judicial Magistrate Ist Class	Name of Courts: Judicial Magistrate 2nd Class
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Baster (Jagdalpur)	(i) Jagdalpur	9	2
		(ii) Kondagaon	1	-
		(iii) Narayanpur	1	-

(1)	(2)	(3)	(4)	
2.	Bilaspur	(i) Bilaspur	14	-
		(ii) Mungeli	1	-
		(iii) Pendra Road	2	-
3.	Dakshin Baster (Dantewara)	(i) Dantewara	3	1
		(ii) Bijapur	1	-
		(iii) Sukma	1	-
4.	Dhamtari	(i) Dhamtari	4	1
		(ii) Kurud	1	-
5.	Durg	(i) Durg	12	2
		(ii) Palod	3	-
		(iii) Bemetara	3	-
6.	Janjgir-Champa	(i) Janjgir	4	1
		(ii) Sakti	2	-
7.	Jashpur	(i) Jashpur	3	1
		(ii) Patthalgaon	1	-
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	(i) Kawardha	4	1
9.	Korba	(i) Korba	3	1
		(ii) Katghora	2	-
10.	Koria (Baikunthpur)	(i) Baikunthpur	3	1
		(ii) Manendragarh	2	-
11.	Mahasamund	(i) Mahasamund	5	1
		(ii) Saraipali	1	-
12.	Raigarh	(i) Raigarh	6	3
		(ii) Dharmajaigarh	1	-
		(iii) Gharghora	1	-
		(iv) Sarangarh	1	-
13.	Raipur	(i) Raipur	18	4
		(ii) Balodabazar	2	-
		(iii) Gariaband	2	-
		(iv) Bhatapara	1	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Rajnandgaon	(i) Rajnandgaon	5	2
		(ii) Ambagarh Chowki	1	-
		(iii) Dongargarh	2	-
		(iv) Khairagarh	2	-
15.	Surguja (Ambikapur)	(i) Ambikapur	7	3
		(ii) Pratappur	1	-
		(iii) Ramanujganj	1	-
		(iv) Surajpur	2	-
16.	Uttar Baster (Kanker)	(i) Kanker	3	1
		(ii) Bhanupratappur	1	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.